



कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी इन्दौर (म.प्र.)

क्रमांक / 9937 / आईडीएसपी / 2019-20,

इन्दौर, दिनांक: 26.03.2020

—:: आदेश ::—

मध्यप्रदेश शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के पत्र क्रमांक/एफ 10-02/2020/17 मेडी-2, भोपाल दिनांक 07 मार्च 2020 के परिपेक्ष में म.प्र. पब्लिकहेल्थ एक्ट 1949 अन्तर्गत पनोवेल कोरोना वायरस बिमारी अधिसूचित की जा चुकी है। कार्यालयीन आदेश क्रमांक/335/पी.ए./2020, दिनांक 23.03.2020 एवं आदेश क्रमांक/339/पी.ए./2020, दिनांक 25.03.2020 के माध्यम से कार्यालय द्वारा उक्त के संबंध में कफर्यू के आदेश जारी किये गये है। संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ म.प्र. भोपाल का पत्र क्रमांक/आईडीएसपी/2020/272, दिनांक 24.03.2020 एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा कोरोना वायरस **COVID-19** महामारी की रोकथाम हेतु कंटेनमेंट प्लान जारी किया गया है।

म.प्र. शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्र./प्र. स/स्वास/सत्रह/मेडि-3/596, भोपाल दिनांक 23 मार्च 2020 द्वारा म.प्र. पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949 के Section 71(2) में प्रावधानित समस्त अधिकार जिला कलेक्टर को प्रदत्त किये जा चुके है। मैं लोकेश कुमार जाटव, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी इन्दौर म.प्र. पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949 की धारा 71(1) एवं 71(2) में निहित शक्तियों का उपयोग कर निम्नानुसार आदेश पारित करता हूँ :-

1. इन्दौर शहरी क्षेत्र में पाये गये **COVID-19** संक्रमित पोजिटिव केस के घरों की जानकारी निम्नानुसार है :-

S.No.	Address
1	71 Sector Chandan Nagar Indore
2	12/1 Ranipura Indore
3	566 Sneh Nager, Sapna Sangeeta Road Indore
4	6 Manisha Bagh Indore
5	Mapple wood A-1 Block Flate no. 1103 Nipaniya Indore
6	128 Silawatpura Ranipura Indore
7	56/3 Dolatganj Pakki Masjid ke pass Ranipura Indore
8	33 Daudi Nagar Khajrana Road Indore
9	813 Khatiwala tank Indore (Flate no. 10)

2. इन घरों को **Epicenter** घोषित करते हुये इस घर से 3 किमी की परिधी में आने वाले क्षेत्र को **कंटेनमेंट एरिया** घोषित किया जाता है। ("Containment Area" is defined as Marking of First contact areas of the reported "Positive case") इस क्षेत्र के समस्त घरों का सर्वे निर्धारित प्रपत्र में अनिवार्यतः किया जावेगा। इससे लगे 5 किमी की परिधी के अतिरिक्त क्षेत्र को बफर जोन घोषित किया जाता है।

कंटेनमेंट एरिया

1. कंटेनमेंट एरिया के अंतर्गत पूर्ण रूप से आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। कंटेनमेंट एरिया के समस्त निवासीयों का होम कोरेंटाईन में रहना उचित होगा। संदर्भित कार्यालयीन आदेशों

- के माध्यम से जो कपर्यू लगाया गया है उसका सही तरीके से क्रियान्वयन हो सकेगा। अतः कंटेनमेंट ऐरिया के अंदर भी आवागमन पूर्ण तरह से प्रतिबंधित रहेगा।
2. कन्टेनमेंट ऐरिया से 3 कि.मी. की परिधी को पेरीमीटर कन्ट्रोल किया जाना होगा जिसके अंतर्गत आवश्यक सुविधाओं के अतिरिक्त किसी भी प्रकार से लोगो का बाहर जाना प्रतिबंधित रहेगा।
 3. कन्टेनमेंट ऐरिया हेतु सी.एम.एच.ओ. द्वारा विशेष आर.आर.टी. जिसके अंतर्गत एक फिजिशियन, एक एपीडिमियोलॉजिस्ट, पेटालाजिस्ट, माईक्रोबायोलॉजिस्ट, डायग्नोस्टिक स्टॉफ रखा जाना होगा व मेडिकल मोबाईल यूनिट जिसके अंतर्गत एक मेडिकल ऑफिसर, एक पेरामेडिकल स्टॉफ, लेब टेक्निशियन व डायग्नोस्टिक स्टॉफ का गठन किया जायेगा।
 4. उक्त क्षेत्र के एक्जिट पाईट पर स्वास्थ्य कर्मचारियों द्वारा सतत स्क्रीनिंग की जायेगी।
 5. समस्त वार्ड वार फ्रंटलाईन स्वास्थ्य कार्यकर्ता – एलएचवी, ए एन एम, आशा, आंगनवाडी कार्यकर्ता एवं सुपरवाइजर (एम.पीडब्ल्यू.-टीबी एच व्ही) टीम वाईस एपीसेन्टर से प्रतिटीम पचास घरों का भ्रमण कर जानकारी लेते हुये निर्धारित प्रोफार्मा-2 में रिपोर्ट आई.डी.एस.पी. नोडल आफिसर को अनिवार्यतः उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
 6. समस्त टीम COVID-19 सस्पेक्टेड केस की मानिट्रिंग प्रति दिन करेंगे एवं COVID-19 संक्रमण की संभावित लक्षण जैसे बुखार, खासी, गले में दर्द, एवं स्वांस लेने में तकलीफ आदि लक्षण आने पर आर आर टीम को सूचना देना सुनिश्चित करेंगे।
 7. समस्त COVID-19 संक्रमण के पॉजिटिव केस के परिजन, निकट संपर्क को होम कोरेन्टाईन कराना जाना अति आवश्यक है जिससे संक्रमण को समुदाय में फैलने से रोका जा सकें।
 8. जिनको होम कोरेन्टाईन किया गया है उनका प्रतिदिन फॉलोअप लेना होगा (विजिट या दूरभाष के माध्यम से) जब तक की सस्पेक्टेड केस का रिजल्ट नेगेटिव ना आ जाये और यदि रिजल्ट पॉजिटिव आता है तो, संबंधित के TRUE कॉन्टेक्ट को 14 दिन तक होम कोरेन्टाईन में रखना होगा एवं फोलोअप 28 दिन तक प्रतिदिन रखना होगा।
 9. आगे संक्रमण फैलने से रोकने हेतु त्वरित कार्यवाही अंतर्गत संदिग्ध संक्रमित की कॉन्टेक्ट ट्रेकिंग करते हुये समस्त संबंधितों (सेल्फ डिक्लेरेशन फार्म में उल्लेखित) से अनिवार्यतः संपर्क किया जाकर उन्हें भी होम कोरेन्टाईन करवाने की कार्यवाही व उनकी भी प्रतिदिन संपर्क करते हुये संपर्क एवं ट्रेकिंग की रिपोर्टिंग किया जाना सुनिश्चित करें।
 10. नगर निगम के जोनल अधिकारी द्वारा क्षेत्र का सेनेटाईजेशन किया जाना सुनिश्चित होगा।
 11. सस्पेक्टेड केस को सेक्टर मेडिकल ऑफिसर/आर आर टी द्वारा परिक्षण किये जाने तक एक अलग चिन्हीत कमरे में आईसोलेशन में रखा जाना सुनिश्चित करना है एवं समस्त परिवार को फेस मास्क उपलब्ध कराते हुये हेण्ड हाईजीन और पर्सनल हाईजीन के प्रोटोकॉल पालन करवाना सुनिश्चित करें।
 12. समस्त कार्यकर्ता पीपीई प्रोटोकॉल का पालन करना सुनिश्चित करेंगे।

संलग्न :- प्रारूप 2 एवं प्रारूप 5।



(लोकेश कुमार जाटव)
कलेक्टर
जिला - झुंझार

प्रतिलिपी:-

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग म.प्र. भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय भोपाल।
3. आयुक्त, संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ म.प्र. भोपाल।
4. आयुक्त, इन्दौर संभाग इन्दौर की ओर सूचनार्थ।
5. पुलिस महानिरीक्षक, इन्दौर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. उप पुलिस महानिरीक्षक, इन्दौर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. आयुक्त, नगर निगम इन्दौर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत इन्दौर की ओर सूचनार्थ।
9. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला इन्दौर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
10. सिविल सर्जन, जिला इन्दौर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
11. जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग इन्दौर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
12. सर्वसंबंधित की ओर पालनार्थ प्रेषित।



कलेक्टर

जिला - इन्दौर